05/4/21 आज पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित/वकील

के वादी का कहना है कि आ० नं० 1036/0.14, 1037/0.14

1038/0.20 हैक्टेयर वाके ग्राम [illegible] तहसील [illegible] जिला

[illegible] होकर 1/6 भाग विवादित आराजी [illegible]

विवादित आराजी व 711 रकबा [illegible] 13 बिस्वा, 712 रकबा

13 बिस्वा [illegible] की [illegible] विवादी

के दिनांक [illegible] ख० नं० 711 व 712 को 1/6 भाग

प्रतिवादी नं० 1 [illegible] को बैनामा किया था जिसका

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.06.24 10:38:22 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

इन्तकाल नं० 184 प्रतिवादी नं० 1 के नाम दर्ज व मन्जूर
हो गया। जिसको जेर निगरानी 2037-40 की जमाबन्दी में है
परन्तु नं० 2043 की जमाबन्दी बनाते समय लिपिक त्रुटि से
खाते में खिनवादी का नाम हटाकर प्रतिवादी नं० 1 रामसिंह
का नाम दर्ज कर दिया। जबकि ख० नं० 711 व 712 में ही
रामसिंह का नाम दर्ज होना चाहिए था। तभी की प्रतिवादीगण
से कोई सीलिंग नहीं पाई गई है परन्तु स्थायी उपरोक्तानुसार
बनाया गया है के बाबत को [illegible] करते हुए वाद डिक्री किये
जाने का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति-
वादीगण को [illegible] प्रतिवादी नं० 1 व 3 लगायत 10 के उपस्थित
नहीं होने की स्थिति में उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही
अमल में लाई गई एवं बार-बार अवसर उपरान्त जवाब पेश
प्रस्तुत नहीं किये जाने पर प्रतिवादी नं० 2 के जवाब के अवसर
को समाप्त किया गया।

वादी ने अपने वाद पत्र की ताईद में रिकार्डेड साक्ष्य
स्वयं नकल जमाबन्दी नं० 2071-74 प्रदर्श-1, नकल इन्तकाल
नं० 184 प्रदर्श-2, नकल जमाबन्दी निगरानी 2037-40
प्रदर्श-3 एवं नकल जमाबन्दी नं० 2041 प्रदर्श-4 एवं
मौखिक साक्ष्य स्वयं शपथ पत्र जगमाल PW-1, आशासिंह
PW-2, हीराराम PW-3 पेश किये हैं जो शामिल पत्रावली
है। वकील वादी की बहस सुनी गई। [illegible]
अन्तिम वकील वादी ने अपने वाद पत्र के [illegible]
दोहराते हुए वादी द्वारा अपने वाद पत्र को [illegible]
दस्तावेजात से पूर्ण रूपेण साबित कर दिये जाने [illegible]
से वादी के वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

वकील वादी की बहस पूर्वक [illegible] अन्तिम
सुनी गई एवं पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात
[illegible] वादी द्वारा अपने
के [illegible] के अवलोकन उपरान्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram
Rajawat
Date: 2021.06.24 10:38
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहलकार हुक्म
	वाद पत्र को मुकांत दस्तावेजात से स्थापित रूप से साबित कर दिये जाने की स्थिति में वादी का वाद कायदह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।	

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद पत्र को मुकांत दस्तावेजात के माध्यम से साबित कर दिये जाने की स्थिति में वाद स्वीकार योग्य पाया जाकर आ० नं० खं० 1036/0.14, 1037/0.14, 1038/0.20 हैक्ट० वाके ग्राम झालाबाद तहसील मुण्डावर जिला अलवर (राज०) के 1/6 भाग के काश्त के वादी के वाद को डिक्री किया जाता है एवं वादी की उक्त हिस्सा आराजी हजवक हाल राजस्व रिकार्ड से प्रतिवादी नं० 1 के नाम से रहे अंकन को हटाये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा उक्त विवादित आराजी के हिस्सा 1/6 भाग का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। तदानुसार पत्र [illegible] जारी हो। [illegible] के फल मुकम्मल हो ([illegible]) तकमील [illegible]

[signature] 3/4/17

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.06.24 10:38:22 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर जिला अलवर

पीठासीन अधिकारीः— रामसिंह राजावत, आर.ए.एस

दावा सं.— 194/2018 दायरा दिनांक :—28.06.2018 पर्चा डिक्री दिनांक :— 05.04.2021

1. ज्गमाल पुत्र श्री श्योदान जाति अहीर निवासी जालावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।

.........वादी

बनाम

1. रामसिंह पुत्र महोदवा जाति अहीर निवासी जालावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
2. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।

.... असल प्रतिवादीगण

3. तोता पुत्र नत्थू
4. ग्यारसा पुत्र नत्थू
5. सुबेसिंह पुत्र नत्थू
6. फूलया उर्फ फूलसिंह पुत्र नत्थू
7. लक्ष्मीनारायण पुत्र चन्दर
8. बहादूर सिंह पुत्र चन्दर निवासी जालावास
9. ओमवती पुत्री रमेश पत्नि भूपसिंह मास्टर जाति अहीर निवासी जेलदार की ढाणी तन नीमराणा
10. सुखराम पुत्र साधू जातियान अहीरान निवासीयान जालावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

दावा इश्तकरारहक दुरूस्ती इन्द्राज मय हु0ई0 दवामी अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

—: पर्चा डिक्री :—

वादी की ओर से **श्री जगन्नाथ यादव एडवोकट** की उपस्थिति एवं प्रतिवादी की अनुपस्थिति में इस वाद में **आज दिनांक 05.04.2021** को **श्री रामसिह राजावत, उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने परं आदेश किया जाता है **और डिक्री दी जाती हैः—**

वादी द्वारा वाद पत्र को सुसंगत दस्तावेजात के माध्यम से साबित कर दिये जाने की स्थिति में वाद स्वीकार योग्य पाया जाकर आराजी खसरा नम्बर 1036/0.14, 1037/0.14, 1038/0.20 है0 वाके ग्राम जालावास तहसील मुण्डावर जिला [illegible] हिस्सा 1/6 भाग के बाबत के वादी के वाद को डिक्री किया जाता है एवं वादी [illegible] आराजी की हद तक हाल राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या [illegible] में हिस्सा [illegible] भाग का हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा उक्त विवादित आराजी में [illegible] वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है उक्तानुसार ही हाल राजस्व [illegible] दरामद किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.06.24 10:38:22 IST
Reason: SelfAttested

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 05.04.2021 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर जिला अलवर राज0

उपखण्ड अधिकारी
मुण्ड़ावर (अलवर)